पंचदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-06

शुक्रवार, दिनांक-21 फरवरी, 2014 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.20 बजे पूर्वाह्न् तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 111 तारांकित प्रश्न अनागत ।

''इस दौरान भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे । आसन द्वारा लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि वे शांत रहें और अपनी सीट पर जाएं । परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की बैठक 12.15 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।''

स्थगनोपरांत

समय : 12.15 बजे अप० से 12.30 बजे अप० तक

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त एवं राजस्व प्रक्षेत्र की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया तथा इसे जनता में बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(iii) माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री पी०के० शाही द्वारा बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38(4) के तहत अधिसूचित ''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2013 तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-419(3) के तहत अधिसूचित'' बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली, 2013'' की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

[3] अन्य चर्चाएँ :

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा कल दिनांक 20.02.2014 को प्रश्नोत्तर काल के दौरान बिहार सरकार के दो पूर्व मंत्रियों के संबंध में लगाए गए आरोप पर सरकार से वक्तव्य की मांग की गई ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए सरकार की ओर से वक्तव्य देने की बात कही गई ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि माननीय सदस्यों को एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए ।

आसन द्वारा इस विषय को गम्भीरतापूर्वक लिया गया ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 02.50 बजे अप० तक ।

''सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर वेल में आकर बैठ गए ।''

[4] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

(i) **बिहार राज्य लोक अभिलेख विधेयक, 2014 :-**

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ एवं विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) **बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2014 :-**

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iii) **बिहार अग्निशमन सेवा विधेयक, 2014 :-**

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iv) **बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014 :-**

माननीय मंत्री श्री भीम सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा खण्ड 2, 3 एवं 4 में क्रमश: संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[5] **निवेदन :**

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 30 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएँगे ।

[6] **शोक प्रकाश :**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्व० दिनेश्वर प्रसाद, पूर्व स०वि०स० के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिरशांति एवं शोकाकुल परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की ।

तदुपरांत सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना संबंधित शोकाकुल परिवार के पास भेज दिया जाए ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 22 फरवरी, 2014 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक 21.02.2014

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

विवरणिका

बिहार विधान सभा में दिनांक-20.02.2014 को सदन द्वारा पारित संशोधन संबंधित प्रस्ताव के अनुसरण में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-3 एवं नियम-100 में निम्न रूप में नया प्रावधान का अंगीकार किया गया है, जो विवरणिका के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा :-

(1) नियमावली के नियम-3 में ''तार'' शब्द के स्थान पर शब्द ''संचार के आधुनिक माध्यमों'' को प्रतिस्थापित किया गया है ;

(1) नियमावली के नियम-100 में शब्द ''अनुमति माँगना चाहते हो'' के बाद के पंक्तियों को विलोपित करते हुए निम्न शब्द जोड़ा गया है :-

''उसके आरम्भ होने के दो घंटे पूर्व से एक घंटे की अवधि के अन्दर प्रस्तावित प्रस्ताव का लिखित विवरण सचिव को देंगे ।''

अध्यक्ष महोदय के आदेश से,
21.2.14
(फूल झा)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०नियम-06/2010- 429 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा, पटना / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना / माननीय संसदीय कार्य मंत्री, बिहार सरकार, पटना / माननीय मंत्रीगण, बिहार सरकार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.2.14
(रूप नारायण मिश्र)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०नियम-06/2010- 429 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रतिलिपि:- बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / महासचिव, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / महासचिव, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सचिव, सभी राज्यों के विधान सभा / विधान परिषद् / निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

21.2.14
(रूप नारायण मिश्र)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०नियम-06/2010- 429 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय एवं अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

21.2.14
(रूप नारायण मिश्र)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०नियम-06/2010- 429 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इसकी 10 (दस) प्रतियाँ सचिवालय को भी उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

21.2.14
(रूप नारायण मिश्र)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।
21/2/14